अनुदान संख्या 41 – मत्स्यपालन विभाग
GRANT No. 41– DEPARTMENT OF FISHERIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1192,16,00	1389,56,00	1348,96,96	-40,59,04
पूरक	Supplementary	197,40,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				38,33,68
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		28,68,00	11,16,74	-17,51,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				18,41,75

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹4059.04 लाख) मार्च, 2022 में प्राप्त ₹19740.00 लाख के पूरक अनुदान का 21 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹4059.04 lakhs) constituted 21 percent of the supplementary grants of ₹19740.00 lakhs obtained in March, 2022 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	2823.00	4737.91	4706.24	-31.67
पू.	S.	1093.00			
पु.	R.	821.91			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2405" मत्स्य पालन	Major Head "2405" Fisheries				
मू.	O.	40041.00			
पू.	S.	1.00	34808.30	34761.31	-46.99
पु.	R.	-5233.70			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	10752.00			
पू.	S.	1.00	0.51	..	-0.51
पु.	R.	-10752.49			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants–in–aid to State Governments				
मू.	O.	60100.00			
पू.	S.	18645.00	92675.60	92580.30	-95.30
पु.	R.	13930.60			
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants–in–aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	5500.00			
			2900.00	2849.11	-50.89
पु.	R.	-2600.00			

(I) ₹10853.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णत अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹10601.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "मत्स्य पालन – समुद्री मत्स्य पालन – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" – ₹5800.00 लाख;

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" – ₹800.51 लाख (₹0.51 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" – ₹4000.49 लाख (₹0.49 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के तहत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2405" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अधीन हुईं:

(का) समुद्री मत्स्य पालन – नीली क्रांति'' – ₹2743.93 लाख की बचत (₹15757.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम छुट्टी यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति, कम दौरे किए जाने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)'' – ₹1500.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(I) Provision of ₹10853.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilised under seven heads; of these ₹10601.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads: -

(A) "Fisheries – Marine Fisheries – Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)" – ₹5800.00 lakhs;

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)" - ₹800.51 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.51 lakh); and

(C) "Tribal Area Sub-Plan – Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)" - ₹4000.49 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.49 lakh).

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re–appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization for on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of balance amount.

(II) Under the Major Head "2405" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Marine Fisheries – Blue Revolution" – saving of ₹2743.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15757.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less LTC claims, less tours undertaken, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes – Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)"– saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs);

(गा) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" – ₹1000.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(C) "Tribal Area Sub–Plan – Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)"– saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs); and

(III) मुख्य शीर्ष "3602" – केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें'' – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अधीन हुईं:–

(III) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads: -

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" – ₹1700.01 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(A) "Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)" - saving of ₹1700.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" – ₹650.88 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ववर्ती वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता की वजह से कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों के चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)" - saving of ₹650.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to less receipt of proposals from implementing agencies owing to availability of unspent balances of previous year and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹300.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 43 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of ₹300.00 lakhs occurred constituting 43 percent of the sanctioned provision.

2.(I) "उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹8530.00 लाखं) प्रयुक्त हो गई जैसा कि मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षो के तहत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹8530.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "3601" – "Centrally Sponsered Schemes" – under the following heads: -

(का) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई)" – ₹2974.99 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2935.55 लाख था।

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)" - ₹2974.99 lakhs. Actual excess, however, was ₹2935.55 lakhs.

(खा) "जनजाति क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" – ₹5555.01 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5499.34 लाख था।

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)" - ₹5555.01 lakhs. Actual excess, however, was ₹5499.34 lakhs.

(II) बचतों को निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित किया गयाः–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – मत्स्य पालन विभाग" – ₹790.24 लाख का अधिक व्यय (₹1093.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹3916.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्षेपण के लिए दो पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रहों के कार्यान्वयन के प्रति अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(A) Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Fisheries " – excess of ₹790.24 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3916.00 lakhs incuding supplementary grant of ₹1093.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of two Earth Observation satellites for launch.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" – ₹5500.41 लाख का अधिक व्यय (₹15715.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹59815.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (PMMSY)" – excess of ₹5500.41 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹59815.00 lakhs including supplementary grant of ₹15715.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹1841.75 लाख) कुल बचतों (₹1751.26 लाख) से अधिक हो गई।

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹1841.75 lakhs) exceeded the overall savings (₹1751.26 lakhs).

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

Saving occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "4405" मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4405" Capital Outlay on Fisheries				
मू.	O.	2868.00	1026.25	1116.74	+90.49
पु.	R.	-1841.75			

(I) ''समुद्री मत्स्य पालन – नीली क्रांति'' – के अंतर्गत – ₹1751.26 लाख की बचत ₹2868.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों, मशीनरी तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति न किए जाने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण प्रभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने जाने के कारण हुई।

(I) Under "Marine Fisheries – Blue Revolution"– saving of ₹1751.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2868.00 lakhs) was due to non-procurement of vehicles, machinery and equipment and requirement of less funds by Central Public Works Department towards construction work.